दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर –273009

पत्रांकः दी0द0उ0गो0वि0वि0 / सम्बद्धता / 2013 / 1734 दिनांक 13 / 12 / 2013

अनापत्ति पत्र

मुझसे यह सूचित करने की अपेक्षा हुई है कि शासनादेश संख्या 2103 / सत्तर–2–2012–2(166) / 2002 दिनांक 09 अगस्त, 2012 के अनुसार स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा पूर्व संचालित पुराने महाविद्यालयों / संस्थानों में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्राप्त अनापत्ति प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त संस्तुति देने हेतु कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की अध्यक्षता में गठित अनापत्ति समिति की बैठक **दिनांक 22.10.2013** को हुई। इस बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार मुझसे यह सूचित करने की अपेक्षा हुई है कि निम्नलिखित सोसाइटी / **महाविद्यालय** को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक कार्यों के संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1.	अ	संचालक सोसाइटी का नाम	**परमानन्द राय मेमोरियल ट्रस्ट, 61–सी, परमानन्द आश्रम, गोरखपुर नर्सिंग होम, कसया रोड, कालेजपुर, गोरखपुर**
	ब	पंजीकरण तिथि	19.06.2012
	स	पंजीकरण वैधता तिथि	—
2.	अ	महाविद्यालय का नाम	**पी0के0 महाविद्यालय, पटखौली, फाजिलनगर, कुशीनगर**
	ब	पूर्व संचालित महाविद्यालय की स्थिति में उपलब्ध पाठ्यक्रमों का नाम	**नवीन महाविद्यालय**
	स	स्थायीकरण की स्थिति	**लागू नहीं**
3.		अनापत्ति स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु है / या परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु	**स्नातक**
4.	अ	अनापत्ति से सम्बन्धित संकाय	**कला एवं वाणिज्य संकाय**
	ब	अनापत्ति से सम्बन्धित विषय	**हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों में तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में**

5. सोसाइटी द्वारा महाविद्यालय के नाम भूमि बैनामा द्वारा अन्तरित की गयी है। अतः इस अनापत्ति के अन्तर्गत विषयाधीन पाठ्यक्रमों का संचालन ग्राम–**पटखौली**, तप्पा–**झनकौल**, परगना–**सि0जो0**, तहसील–**कसया**, जिला–**कुशीनगर** में **स्थित आराजी गाटा संख्या 293 / 0.030है0, 294 / 0.024है0, 295 / 0.091है0 एवं 296 / 0.868है0 कुल रकबा 1.013है0 भूमि पर** राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के मानकानुसार निर्मित भवन में किया जायेगा। उक्त से भिन्न भूमि / भूखण्ड पर महाविद्यालय के संचालन की स्थिति में उक्त अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
6. महाविद्यालयों की भूमि के समस्त गाटों की संयुक्तता एवं नजरी नक्शा की स्थिति – **उपलब्ध है।**
7. उक्त पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्था द्वारा स्वयं अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा एवं इस आशय की वचनबद्धता रू0 100 / – (रू0 एक सौ) मात्र के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र के माध्यम से लिखित अन्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।
8. उपरोक्त पाठ्यक्रम / पाठयक्रमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सम्बद्धता हेतु पूर्वानुमति मिल जाने पर और उसके पश्चात विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि महाविद्यालय / संस्थान द्वारा प्रवेश किये जायेंगे तो महाविद्यालय / संस्थान के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा अवैध रूप से प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कराई जायेंगी।
9. उक्त पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान / महाविद्यालय शासनादेश संख्याः 3075 / सत्तर–2–2002–2(166) / 2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय–समय पर जारी अन्य तत्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों में विनिर्दिष्टि मानकों एवं निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।

04/12/13 5/12

10. उक्त सोसाइटी/संस्थान/महाविद्यालय भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो उत्तर प्रदेश शासन या विश्वविद्यालय से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुए वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की होगी।
11. उक्त पाठ्यक्रम के बाबत किसी प्रकार की लायबिलिटी से राज्य सरकार या विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।
12. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि भवन, शिक्षकों एवं अन्य अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
13. शासनादेश संख्याः 4070/सत्तर–2–2011–16(686)/2011 (उच्च शिक्षा अनुभाग–2) दिनांक 20.04.2012 के अनुसार महाविद्यालय के सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अनुसार क्रमशः न्यूनतम 15 एवं 20 फिट होना अनिवार्य है।
14. शासन के पत्र संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2013 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार महाविद्यालयों को किसी भी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता दिये जाने एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व संस्था में विश्वविद्यालय से यू0जी0सी0 अर्हताधारी योग्य शिक्षक अनुमोदित एवं तैनात होने चाहिए।
15. सम्बद्धता के निरीक्षण के समय अनिवार्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर निरीक्षण द्वारा परीक्षण कर लिया जाय –
    1. भवन/चहारदीवारी के निर्मित होने की स्थिति/मानचित्र की स्वीकृति।
    2. सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई।
    3. सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि का अतिक्रमण न किया जाना।
    4. आवेदन पत्र की प्रविष्टियों की शुद्धता।
    5. विभिन्न गाटों की संयुक्तता।
    6. बैंक खाते में अपेक्षित धनराशि का होना।
    7. वांछित भूमि की खतौनी को उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होना।
    8. सोसाइटी की वैधता।
    9. शिक्षकों की नियुक्ति।
    10. प्रबन्ध समिति का अनुमोदन।
    11. अग्निशमन व्यवस्था।
16. यह अनापत्ति वर्तमान में महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों, पत्रजातों एवं अनापत्ति समिति की संस्तुति पर कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त/अनुमोदनानुसार निर्गत की जा रही है। यदि भविष्य में किन्हीं अभिलेखों, पत्रजातों इत्यादि में कोई परिवर्तन होता है या त्रुटि पायी जाती है अथवा वह असत्य पाया जाता है तो इसके लिए सचिव/प्रबन्धक, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति जिम्मेदार होंगे तथा अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेंगी एवं सचिव/प्रबन्धक, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक व अन्य कार्यवाही की जायेगी।

(एस0के0 शुक्ल)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग–6), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी।
4. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
6. प्रबन्धक, सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. अधीक्षक, सम्बद्धता अनुभाग को एन0ओ0सी0 रजिस्टर में चस्पा कराने के निर्देशों के साथ।
8. समन्वयक, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनापत्ति पत्र को वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(एस0के0 शुक्ल)
कुलसचिव